कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 1397 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 18-11- 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में चेलछिना – बसन्तपुर–जैंती मोटर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.602 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/38787/2019।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 01 / 2022 / एफ0सी0 / 1415 दिनांक 12.01.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आपके संदर्भित द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा की पत्र संख्या 1165 / 12–1 दिनांक 20.10.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है। कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– 02 हार्ड कॉपियां।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 1165/ 12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 20-10- 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विशय : जनपद अल्मोड़ा में चेलछिना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग के प्रस्ताव सं0 38787/2019 निर्माण हेतु 2.602 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में।

सन्दर्भ : भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/01/2022/एफ0सी0/1415 दिनांक 12.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विशयक एवं संदर्भित प्राप्त ऑन लाईन प्रस्ताव के क्रम में अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन क्षेत्रिय कार्यालय देहरादून द्वारा लगाई गयी बिन्दु सं0 1 से 3 तक लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा ने अपने पत्र सं0 2366/7सी0(व0भू0) दिनांक 23.09.2022 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है जिसे महोदय की सेवा में निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है ।

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्तावित मार्ग के के0एम0एल0 फाईल के अवलोकन उपरान्त प्रतीत होता है कि उक्त क्षेत्र में बहुत से पूर्व निर्मित मार्ग उपलब्ध है जिनके बारे में सही जानकारी की अस्पष्टता है। यह भी स्पष्ट नही है कि यह मार्ग पैदल मार्ग है अथवा पक्के मार्ग या इन्ही मार्गो का उपयोग सम्बन्धित गांवों को जोडने में क्यों नही किया जा सकता ? इसके अतिरिक्त नया संग्रोली एवं रौशीला गांव पूर्व से मार्ग पर जुडे है। नया संग्रोली गांव प्रस्तावित मार्ग से काफी दूरी पर भी है। साथ ही Tyunare एवं Tikkar ग्राम भी मार्ग से जुडे हुए प्रतीत होते है। अतः आपसे अनुरोध है कि सीधे तौर पर लाभान्वित होने वाले गांवों की सही स्थिति से अवगत करायें तथा लाभान्वित होने वाले गांवो की मुख्य/पक्के मार्ग से दूरी को इंगित करते हुये एक विस्तृत स्पष्टीकरण जो कि IRC के मानको के अनुरूप प्रस्तावित समरेखण को Justify करता हो, इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग छाजा–फटक्वारडुंगरा मोटर मार्ग से प्रारम्भ होता है एवं थुवासिमल बिनौला आरा दाडिमी रीठाखाल मोटर मार्ग पर समाप्त होता है। प्रस्तावित संरेखण के बीच में कुशैलबैण्ड थुवासिमल मोटर मार्ग निर्मित है। जिसको उक्त प्रस्तावित मार्ग कास करते हुए अन्तिम बिन्दु की ओर जाता है। नया संग्रोली एवं रोशीला गांव अन्य मोटर मार्ग से जुडे है किन्तु तहसील, बैंक, डिग्री कालेज, आई0टी0आई0, पॉलीटैक्निक, डाकघर जैंती मे होने के कारण उक्त प्रस्तावित मार्ग को बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त मार्ग से ग्राम त्यूनरा, रौसिला, बडियार रैत, टिकर, रणक, नया संग्रोली गांव लाभान्वित होते है। उक्त ग्रामों की पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से उर्ध्वाधर दूरी लगभग कमशः 120मी0, 50मी0, 100मी0, 50मी0, 100मी0, 30मी0 है किन्तु प्रस्तावित मार्ग से आमजन विभिन्न संस्थानों (तहसील, बैंक, डिग्री कालेज, आई0टी0आई0, पॉलीटैक्निक, डाकघर) हेतु जैंती जाना होता है जिसकी दूरी प्रस्तावित मार्ग से 12 किमी0 एवं अन्य मार्गो से 50 से 60 किमी0 होती है। ग्रामवासियों की सुविधा हेतु प्रस्तावित मार्ग बनाया जान नितान्त आवश्यक है।
2	पातन होने वाले वृक्षों की गणना सम्भवतः 9 मी0 पर की गयी है। अतः उक्त गणना को 7 मी0 चौड़ाई पर गणना कर प्रेषित करने	वृक्षों की गणना 7 मी0 चौडाई पर कर ली गयी है। वृक्षों की सूची पार्ट–I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 57 पर अपलोड कर ली गयी है। तथा पार्ट–II में पैरा–4 के

	का कष्ट करें।	(ii) में वृक्षों की सूचना सही कर ली गयी है। तथा वृक्षों की सूची पार्ट–II के पैरा–13 के Additional Information में अपलोड की गयी है।
3	राज्य सरकार सी0ए0 हेतु प्रस्तुत के के0एम0एल0 तथा डिजिटल मानचित्र में Shape विभिन्नता को दूर करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग ने सी0ए0 हेतु प्रस्तुत के0एम0एल0 की शेप फाइल ठीक कर ली गयी है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोडा।

Scanned with OKEN Scanner